

**दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
(श्रम विभाग)  
'अधिसूचना'**

संख्या एफ. 12 (29)(142)/11/न्यू वे0/श्रम/.2047  
26/07/2011

दिनांक:-

संख्या:एफ. 12 (29)/142/11/न्यू वे0/श्रम/ भारत सरकार के भूतपूर्व प्रदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स) की अधिसूचना सं० 104-जे, दिनांक 24 अगस्त 1950 व गृहमंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 530 (एफ 2/9/66-यू०टी०एल०) दिनांक 6 फरवरी 1967 के साथ पठित न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (2) के द्वारा और उन्हें इस संबंध में समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत गठित समिति व सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत **निजी गैरमान्य शिक्षण संस्थाएं** के अनुसूचित व्यवसाय में अधिसूचना संख्या एफ. 12 (29)/92/न्यू वे0/श्रम/150 दिनांक 15 फरवरी 1994 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष पुनरीक्षित करते हैं।

यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी और इस तिथि से अधिसूचना संख्या एफ 12 (29)/92/न्यू वे0/श्रम/150 दिनांक 15 फरवरी 1994 रद्द मानी जायेगी

**अनुसूची  
निजी गैरमान्य शिक्षण संस्थाएं**

कर्मचारियों की श्रेणी	न्यूनतम वेतन की दरें	
	प्रतिमाह (रू०)	प्रतिदिन (रू०)
<b>अकुशल</b> 1. पीयन, 2. चौकीदार, 3. स्वीपर, 4. वाटरमैन 5. क्लीनर, 6. फराश, 7. आया, 8. अन्य अदक्ष कर्मचारी चाहे किसी नाम से पुकारा जाये	<b>6422.00</b>	<b>247.00</b>
<b>अर्द्धकुशल</b> 1. बस कंडक्टर, 2. असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन 3. असिस्टेंट पलम्बर, 4. असिस्टेंट मिस्ट्री 5. कारपेंटर, 6. अन्य अर्द्धदक्ष कर्मचारी चाहे किसी नाम से पुकारा जाये।	<b>7098.00</b>	<b>273.00</b>
<b>कुशल</b> 1. लाइब्रेरियन, 2. लेबोरेट्री असिस्टेंट 3. ड्राईवर्स, 4. फिजीकल इंस्ट्रक्टर, 5. इलैक्ट्रीशियन 6. पलम्बर, 7. कारपेंटर, 8. अन्य दक्ष कर्मचारी चाहे किसी नाम से पुकारा जाये	<b>7826.00</b>	<b>301.00</b>
<b>लिपिक वर्गीय तथा अतकनीकी स्टाफ</b>		
1. दसवीं कक्षा अनुत्तीर्ण	<b>7098.00</b>	<b>273.00</b>

2. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अस्नातक	7826.00	301.00
3. स्नातक तथा इससे उपर	8502.00	327.00

### टिप्पणी नं०-1

मजदूरी की न्यूनतम दरें जो निर्धारित की जा रही हैं वे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। मजदूरी की वर्तमान दरें जो सूचकांक 171.33 के आधार पर निश्चित की गई हैं वे जुलाई से दिसम्बर-2010 की अवधि के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित (आधार वर्ष 2001 = 100) हैं। समायोजन की दर अकशल के लिए रुपया 1.35 प्रति अंक, अर्धकुशल के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, कुशल के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक, नान मैट्रीकुलैट्स के लिए रुपया 1.50 प्रति अंक, मैट्रीकुलैट्स किन्तु गैर स्नातक के लिए रुपया 1.65 प्रति अंक और स्नातक और उसके उपर के लिए रुपया 1.80 प्रति अंक होगा। प्रत्येक वर्ष समायोजन छःमाही आधार पर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल एवं प्रथम अक्टूबर में होगा जो कि पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवं इस वर्ष जनवरी से जून क्रमशः के औसत सूचकांक को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

### टिप्पणी नं०-2

अब नियत की जा रही मजदूरी की न्यूनतम दरें सहलग्नता के परिणामस्वरूप इन दरों से कम नहीं होंगी।

### टिप्पणी नं०-3

दैनिक मंहगाई भत्ते की गणना करते समय निकटतम उच्च रूपये में पूर्णांक में बदला जायेगा।

### टिप्पणी नं०-4

दैनिक न्यूनतम वेतन की दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर

(--हस्ता०--)

(पीयूष शर्मा)

संयुक्त सचिव (श्रम),  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

संख्या एफ. 12 (29)(142)/11/न्यू० वे०/श्रम/.....

दिनांक.....

.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:—

1. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
2. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
4. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
5. सचिव, माननीय मंत्री(शिक्षा, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव व प्रशासन ), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
6. सचिव, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रोजगार, राजस्व, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
7. सचिव, माननीय मंत्री (विद्युत, खाद्य एवं संभरण, विकास), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
8. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, भाषा), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
9. सचिव, माननीय मंत्री (लोक निर्माण विभाग, अनु.जा./जन जा. कल्याण विभाग, शहरी विकास, भूमि एवं भवन), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
10. सचिव, माननीय मंत्री (उद्योग, श्रम, चुनाव), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
11. सचिव, दिल्ली विधान सभा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सूचनार्थ
12. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, प्लेयर्स बिल्डिंग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
13. प्रधान सचिव (श्रम), द्वितीय तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
14. श्रम आयुक्त, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
15. दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ ।
16. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, दिल्ली ।
17. सचिव श्रम – हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और यू0टी0, चंडीगढ़ ।
18. महासचिव, भा0म0संघ0 ईटक, सीटू, एटक, एच0एम0एस0 ।
19. महासचिव, सी0आई0आई0,फिक्की, पी0एच0डी0सी0सी0आई0, एसोचैम, इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश की प्रति स्थानीय नियोजकों के संगठनों को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि सभी संस्थान अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों को सशोधित दरों के आधार पर भुगतान करें । परिपत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें ।
20. सभी जिला संयुक्त एवं उप-श्रमायुक्तों को दस अतिरिक्त प्रतियाँ, ट्रेड यूनियन और नियोक्ता संघों में वितरण के लिए ।

21. उप-सचिव (वित्त) रा0रा0 क्षेत्र, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में नियोजित कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी से संबंधित निर्देश जारी करें ।
22. क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, बी-ब्लॉक, कर्जन रोड बैरेक, के0जी0मार्ग, नई दिल्ली ।
23. उप-निदेशक, न्यूनतम मजदूरी, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
24. संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, एस0सी0ओ0, 28-31, सैक्टर-17(ए), चंडीगढ़-160017
25. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
26. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
27. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)